भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3888
उत्तर देने की तारीख-24/03/2025

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा केन्द्र

†3888. **श्री धर्मबीर सिंहः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास शैक्षिक उत्कृष्टता और अंतःविषयक अनुसंधान को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा केन्द्र विकसित करने की कोई योजना है;
(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित बुनियादी ढांचे, वित्त पोषण आवंटन तथा कार्यान्वयन की समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या शिक्षा केंद्र में नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुसंधान केंद्र, इनक्यूबेशन सुविधाएं और उद्योग सहयोग शामिल होंगे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए जाने वाले संभावित कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ङ.) क्या सरकार ने इस पहल के लिए विशिष्ट केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू दिल्ली पर बोझ कम करने के लिए हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पाली महेंद्रगढ़ में शिक्षा केंद्र विकसित करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (च): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) में विखंडन को समाप्त करके उच्च शिक्षा का पुनर्गठन करने और न्यूनतम 3,000 छात्रों के साथ बड़े बहु-विषयक विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थान (एचईआई) समूहों/ज्ञान केंद्रों को विकसित करने की परिकल्पना की गई है। इससे जीवंत शैक्षणिक समुदाय को बढ़ावा मिलेगा, अनुशासनात्मक कमियाँ दूर होंगी, विभिन्न क्षेत्रों में समग्र शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, अंतर-विषयक शोध को

प्रोत्साहन मिलेगा और उच्च शिक्षा में संसाधन दक्षता में वृद्धि होगी। शिक्षा मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू) संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित सांविधिक स्वायत्त संगठन हैं और उनके अंतर्गत बनाए गए अधिनियमों और संविधियों/अध्यादेशों/विनियमों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं। ये केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अकादमिक उत्कृष्टता, अंतःविषयक शोध की ओर कदम उठाने हेतु सशक्त है और ऐसे उद्देश्यों के लिए अवसारंचनात्मक विकास की योजना बनाने हेतु उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफ़ा) के माध्यम से अधिकार प्राप्त हैं। एनईपी 2020 में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) के सरोकारों को ध्यान में रखा गया है, जिसमें महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक और अन्य श्रेणियां शामिल हैं। इस नीति का उद्देश्य पहुँच, भागीदारी और अधिगम परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अंतर को कम करना है। सरकार ने इस दिशा में ओर अधिक उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलना, छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति और अध्यावृति योजनाओं की शुरूआत और कार्यान्वयन, पूर्णतः नि:शुल्क दूरस्थ शिक्षा/ऑनलाइन कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले उच्च शिक्षण संस्थान, स्वयं मंच के माध्यम से किसी भी समय, कहीं भी अधिगम के अवसर प्रदान करना आदि विभिन्न कदम उठाए हैं, जिससे ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित हो सके। छात्रों में नवाचार और कौशल को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित केंद्रीय विश्वविद्यालयों को शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करना, एनईपी 2020 की मुख्य विषय-वस्तु है।

*****